

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:-ह.1(3)पीएस/हथ/2005/7310

दिनांक: 21.08.2007

स्थाई आदेश संख्या 10/2007

वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की जिला पुलिस इकाईयों, आरएसी/एमबीसी बटालियनों में दंगा निरोधी उपकरण की स्केल का एतद्वारा निर्धारण किया जाता है।

क. सं.	आइटम का नाम	जिलों के लिए निर्धारित स्केल	आरएसी/एमबीसी बटालियनों के लिए निर्धारित स्केल
1.	एफआरपी हेलमेट	स्वीकृत नफरी का 50%	एसटीएफ कंपनी-120 नग सामान्य कंपनी-120 नग मुख्यालय कंपनी-30 नग
2.	पोलीकार्बोनेट लाठी	स्वीकृत नफरी का 50%	एसटीएफ कंपनी-70 नग सामान्य कंपनी-70 नग मुख्यालय कंपनी-10 नग
3.	पोलीकार्बोनेट शील्ड	स्वीकृत नफरी का 40%	एसटीएफ कंपनी-70 नग सामान्य कंपनी-70 नग मुख्यालय कंपनी-10 नग
4.	बॉडी प्रोटेक्टर	स्वीकृत नफरी का 40%	एसटीएफ कंपनी-120 नग सामान्य कंपनी-120 नग मुख्यालय कंपनी-30 नग
5.	वीडियो कैमरा	सर्किलों की संख्या का दो गुणा	एसटीएफ कंपनी-1 नग मुख्यालय कंपनी-1 नग
6.	फ्रस्ट एड बॉक्स	जिला जयपुर शहर को 12 नग रेंज मुख्यालय के प्रत्येक जिले को 8 नग जिला अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, चित्तौड़गढ़ प्रत्येक को 4 नग अन्य सभी जिलों में प्रत्येक को 2 नग	एसटीएफ कंपनी-1 नग सामान्य कंपनी-1 नग
7.	अग्निवर्षा	सर्किलों की संख्या का 50% एवं न्यूनतम 2 नग	एसटीएफ कंपनी-1 नग मुख्यालय कंपनी-1 नग
8.	वज्र	जिला जयपुर शहर को 2 नग रेंज मुख्यालय के जिले तथा अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, चित्तौड़गढ़ प्रत्येक को 1 नग	एसटीएफ कंपनी-1 नग
9.	गैस गन	स्थाई आदेश सं. 8/2006 के अनुसार	एसटीएफ कंपनी-6 नग सामान्य कंपनी-6 नग मुख्यालय कंपनी-2 नग
10.	एन्टीरोईट गन	स्थाई आदेश सं. 8/2006 के अनुसार	एसटीएफ कंपनी-6 नग सामान्य कंपनी-6 नग मुख्यालय कंपनी-2 नग

11.	लॉग रेंज सैल (टीयर स्मोक सैल)	प्रति गैसगन 20 नग	प्रति गैसगन 20 नग
12.	टू इन वन सैल	प्रति गैसगन 10 नग	प्रति गैसगन 10 नग
13.	स्टन सैल	प्रति गैसगन 5 नग	प्रति गैसगन 5 नग
14.	ड्यूल सैल	प्रति गैसगन 5 नग	प्रति गैसगन 5 नग
15.	लोग रेंज सैल(इले.) (टीयर स्मोक सैल)	प्रति अग्निवर्षा-40 नग	प्रति अग्निवर्षा-40 नग
16.	टू इन वन सैल (इले.)	प्रति अग्निवर्षा-24 नग	प्रति अग्निवर्षा-24 नग
17.	स्टन सैल(इले.)	प्रति अग्निवर्षा-20 नग	प्रति अग्निवर्षा-20 नग
18.	ड्यूल सैल(इले.)	प्रति अग्निवर्षा-20 नग	प्रति अग्निवर्षा-20 नग
19.	नागपास	-----	एसटीएफ कंपनी-2 नग मुख्यालय कंपनी-2 नग
20.	स्टेचर	प्रत्येक जिले में 4 नग	प्रत्येक कंपनी-4 नग
21.	रबड बुलेट/मल्टी बटन राउण्ड	प्रति गैसगन 15 नग	प्रति गैसगन 15 नग
22.	प्लास्टिक बुलट	प्रति एन्टीरॉईट गन 50 नग	प्रति एन्टीरॉईट गन 50 नग
23.	प्लास्टिक पैलेट्स सैट	प्रति एन्टीरॉईट गन 50 नग	प्रति एन्टीरॉईट गन 50 नग

पूर्व प्रसारित स्थाई आदेश संख्या 8/2006 द्वारा निर्धारित अग्निवर्षा, एन्टीरॉईट गन, गैसगन, समस्त प्रकार के टीयर स्मोक म्यूनेशन, रबड बुलेट, प्लास्टिक बुलट एवं प्लास्टिक पैलेट्स सैट की निर्धारित मात्रा उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान ।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान मय आरएसी/रेल्वे।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी. जोधपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय रेल्वे अजमेर/जोधपुर/सीआईडी (एसएसबी/सुरक्षा)।
6. समस्त कमाण्डेन्ट एम.बी.सी., पीटीएस, आरएसी बटालियन मय आई.आर.बटालियन
7. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पु० मु०, राज०, जयपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान ।